न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–79 / 2023 दायर दिनांक–: 29.3.2023
GCMS NO:- 2023/113 पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

शोजी लाल आ0 स्व. देवलाल जाति गुर्जर निवासी सांगोदा तहसील नैनवॉ।

प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमान तहसीलदार साहब, तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
2. राजस्थान राज्य जर्ये जिलाधीश महोदय, बून्दी।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

उपस्थितिः–
प्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री शंकरलाल शर्मा।

निर्णय दिनांक 30.5.2025

–:निर्णयः–

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम सांगोदा प.म. तलवास मे खाता संख्या 13 के खसरा नम्बर 161 रकबा 0.5178 हैक्टयर व खसरा नम्बर 3 / 199 रकबा 0.2265 हैक्टयर स्थित है जो प्रार्थी की पुश्तेनी कृषि भूमि है तथा उक्त भूमि वर्तमान मे प्रार्थी के पिता देवलाल के खातेदारी मे दर्ज है जिनका स्वर्गवास हो चुका है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमि मे प्रार्थी के पिता का नाम देवलाल पुत्र बरधा जाति गुर्जर है लेकिन संहवन् से लिपिकीय टंकण त्रुटी के कारण उक्त भूमि मे प्रार्थी के पिता की जाति बैरवॉ दर्ज हो गयी थी अर्थात प्रार्थी के पिता का वास्तविक नाम देवलाल पुत्र बरधा जाति गुर्जर है जो संहवन् से लिपिकीय त्रुटी से देवा पुत्र बरधा जाति चमार दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी के पिता के अन्य सभी दस्तावेजों मे जाति गुर्जर लिखा हुआ है और प्रार्थी के पिता की जाति गुर्जर ही है। उक्त भूमि मे प्रार्थी के पिता का नाम देवा पुत्र बरधा जाति बैरवॉ लिखा हुआ होने से उक्त भूमि का नामान्तरकरण भी प्रार्थी के नाम नही खुल रहा है तथा अन्य कई समस्याओं का सामना करना पड रहा है। ग्राम सांगोदा मे देवा पुत्र बरधा जाति बैरवॉ के नाम का कोई अन्य व्यक्ति नही है।

यह कि प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि वह प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमि की जमाबन्दी व अन्य राजस्व अभिलेखों मे अपने पिता का नाम की जाति संशोधित करवाकर बैरवॉ के स्थान पर गुर्जर करवाये।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

तहसीलदार नैनवॉ की पुनः रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है जिसमे नायब तहसीलदार करवर से प्राप्त रिपोर्ट एवं राजस्व रिकॉर्ड व मौका पर्चा अनुसार वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2076–2079 मे देवा पुत्र बरधा की जाति बैरवॉ होने के कारण खातेदार की जाति बैरवॉ के स्थान पर गुर्जर किया जाना उचित नही होने से प्रकरण खारिज करने की अभिशंषा रिपोर्ट पेश की है। बहस सूनी गयी। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमि मे प्रार्थी के पिता का नाम देवलाल पुत्र बरधा जाति गुर्जर है लेकिन संहवन् से लिपिकीय टंकण त्रुटी के कारण उक्त भूमि मे प्रार्थी के पिता की जाति बैरवॉ दर्ज हो गयी थी जबकि प्रार्थी के पिता के अन्य सभी दस्तावेजों मे जाति गुर्जर लिखा हुआ है और प्रार्थी के पिता की जाति गुर्जर ही है जिससे प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमि की जमाबन्दी व अन्य राजस्व अभिलेखों मे अपने पिता का नाम की जाति संशोधित करवाकर बैरवॉ के स्थान पर गुर्जर करवाने का निवेदन किया गया।

बहस सूनी गयी। बाद बहस के विवेचन, तहसीलदार नैनवॉ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट व पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों के अध्ययन व अवलोकन पर पाया कि ग्राम सांगोदा के खसरा नम्बर 161 व 3 / 199 कुल किता 2 कुल रकबा 0.7443 हैक्टयर पर देवा पुत्र बरधा जाति बैरवॉ सा. देह खातेदार दर्ज रिकॅर्ड है। सैटलमैंट जमाबन्दी संवत् 2078–2047 के अनुसार खसरा नम्बर 161 व 3 / 1299 पर देवा वल्द बरधा कौम चमार सा0 देह गैर खातेदार दर्ज था जिसके पश्चात नामान्तरकरण संख्या 111 से खसरा

नम्बर 161 व 3/199 पर देवा वल्द बरधा कौम चमार सा0 देह खातेदार दर्ज हुआ। उक्त खातेदार की जाति सम्मानजनक रूप से चमार के स्थान पर बैरवॉ दर्ज किया जाना पाया गया। अतः देवा पुत्र बरधा की जाति बैरवॉ के स्थान पर गुर्जर दर्ज करने बाबत् कोई साक्ष्य/प्रमाण नही पाया जाने तथा तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट मे भी देवा पुत्र बरधा की जाति बैरवॉ के स्थान पर गुर्जर किया जाना उचित नही होना बताया जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 11.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड़ अधिकारी
नैंनवा